राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – नौरंगपुरा

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर – 38/2012 (पुराना)

– 200/2016 (नया)

1. मिश्री देवी पत्नी स्व. बोदू
2. हरिसिंह पुत्र स्व. बोदू
3. श्रीराम पुत्र स्व. बोदू
4. राजेश पुत्र स्व. बोदू
5. शान्ती पुत्री स्व. बोदू
6. सन्तोष पुत्री स्व. बोदू

जाति जाट निवासी सुनारी तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. गोरू पुत्र सुण्डा
2. भोलू पुत्र सुण्डा
3. बीड़दा पुत्र सुण्डा
4. सन्तरा देवी पत्नी रामचन्द्र
5. बबीता पुत्री रामचन्द्र नाबालिग जरिये माता सन्तरा देवी पत्नी रामचन्द्र
6. मनोस पत्नी स्व. धर्मपाल
7. धोली पुत्र स्व. धर्म्रपाल
8. कौशल्या पुत्री स्व. धर्मपाल
9. सुनील पुत्र स्व. धर्मपाल

(7–9) नाबालिग जरिये माता मनोस देवी पत्नी स्व. धर्मपाल

10. रोहिताश पुत्र बोदूराम
11. भगताराम पुत्र बलाराम
12. हरलाल पुत्र बलाराम
13. नाथी देवी पत्नी ग्यारसाराम
14. महेश कुमार पुत्र ग्यारसाराम
15. पूजा पुत्री ग्यारसाराम

(14–15) नाबालिग जरिये माता नाथी देवी पत्नी ग्यारसाराम

16. मूलचन्द पुत्र गोमाराम
17. गोरली पत्नी माडूराम
18. महेन्द्र पुत्र माडूराम
19. रामावतार पुत्र माडूराम
20. प्रकाशचन्द पुत्र माडूराम
21. बनोश पुत्री माडूराम
22. जैसुराम पुत्र शंकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

22/1 उदयसिंह पुत्र स्व. जैसुराम
22/2 रतन सिंह पुत्र स्व. जैसुराम
22/3 अशोक पुत्र स्व. जैसुराम
22/4 गीता पुत्री स्व. जैसुराम
22/5 बिमला पुत्री स्व. जैसुराम
22/6 सुमन पुत्री स्व. जैसुराम
23. बोदूराम पुत्र शंकर
24. हंसराम पुत्र शंकर
25. मु. रूकमा देवी पत्नी मनीराम
26. राजकुमार पुत्र मनीराम
27. बलराम पुत्र मनीराम
28. महेन्द्र पुत्र मनीराम
29. मामराज पुत्र नरसा
30. छोटू पुत्र नरसा
31. रामेश्वर पुत्र बोदूराम
32. सुन्दरी पत्नी गणेशा
33. महावीर पुत्र गणेशा
34. मोहर सिंह पुत्र गणेशा जाति जाट निवासी सुनारी तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
35. प्रबन्धक शेखावाटी ग्रामीण बैंक बबाई।
36. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती,
खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:– **दिनांक 25–10–2021**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07–06–2018 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम सुनारी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित आराजी खाता संख्या 32 खसरा नंबर 335, 336, 336 किता 3 कुल रकबा 1.82 है. में दर्ज बोदूराम पु0 हनुमान हिस्सा 0.014 है. के स्थान पर वादीगण को 0.14 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार वादीगण का खाता सं. 32 में 0.14 है व खाता सं. 198 में 0.14 है. भूमि ग्राम सुनारी भूमि का खाता विभाजन किया जाकर लगान अलग से कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ. /2021/2396 दिनांक 15.09.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प नौरंगपुरा में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–8' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–8' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–8' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–8' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प नौरंगपुरा में दिनांक 25–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.06 14:21:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner